न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 16 सन 2026

अनवान :–

1. हनुमान पुत्र गोधूराम जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुभाष पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
2. कुरडाराम पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर।
3. कालुराम पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर।
4. सतपाल पुत्र हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर।
5. कमला पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर।
6. रोशनी पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर।
7. भंवरी देवी पुत्री हनुमान जाति ब्राहम्मण निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ (राजस्थान)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 09/06/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी इस आश्य का पेश किया की श्रीमान् अदालत में अनवानी सुभाष चन्द्र बनाम हनुमान आदि वाद स० 637/2020 पेश किया गया था जो कि दिनांक 02.01.2021 को वाद वादी डिक्री किया गया । न्यायालय हाजा के निर्णण दिनांक 02.01.2021 की पालना में रोही मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 को दर्ज व मंजुर हुआ है।

श्रीमान् अदालत के निर्णण दिनांक 02.01.2021 के विरूध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के अपील अनवानी हनुमान बनाम सुभव आदि अपील सख्या 464/2026 प्रस्तुत कि गई जो कि बाद सुनवाई दिनांक 10.04.2026 को अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि गई व श्रीमान् अदालत के अनवानी सुभाष चन्द्र बनाम हनुमान आदि वाद स0 637/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 निरस्त किया गया। श्रीमान् अदालत के निर्णण दिनांक 02.03.2021 के आधार पर रोहि मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 को दर्ज हुआ जो कि आज दिनाक तक प्रभावी है। वह राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के अपील अनवानी हनुमान बनाम सुभाय आदि अपील सख्या 464/2026 मे निर्णण दिनांक 10.04.2026 के आधार से श्रीमान् अदालत का निर्णण दिनांक 02.03.2021 को निरस्त होने के कारण नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16. 03.2021 कानुनन् निरस्त हो चुका है इस लिए रोही मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिर्काड मे दुरूस्त की जानी आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रोही मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिर्काड मे बहाल करने के आदेश फरमावे ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया की प्रार्थी का प्रार्थना मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की श्रीमान् अदालत के निर्णण दिनांक 02.01.2021 के विरूध राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के अपील अनवानी हनुमान बनाम सुभव आदि अपील सख्या 464/2026 प्रस्तुत कि गई जो कि बाद सुनवाई दिनांक 10.04.2026 को अपील अपीलाण्ट स्वीकार कि गई व श्रीमान् अदालत के अनवानी सुभाष चन्द्र बनाम हनुमान आदि वाद स0 637/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 निरस्त किया गया। श्रीमान् अदालत के निर्णण दिनांक 02.03.2021 के आधार पर रोहि मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 को दर्ज हुआ जो कि आज दिनाक तक प्रभावी है। वह राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के अपील अनवानी हनुमान बनाम सुभाय आदि अपील सख्या 464/2026 मे निर्णण दिनांक 10.04.2026 के आधार से श्रीमान् अदालत का निर्णण दिनांक 02.03.2021 को निरस्त होने के कारण नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16. 03.2021 कानुनन् निरस्त हो चुका है इस लिए रोही मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिर्काड मे दुरूस्त की जानी आवश्यक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादी का कथन है कि न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2021 की पालना में नामान्तरण संख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 को मंजुर हुआ है लेकिन माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.01.2021 को अपास्त किया जा चुका है इसलिए न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2021 से पूर्व की स्थिति को बहाल किया जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 02.01.2021 की पालना में रोही मोजा कानसर तहसील नोहर का नामान्तरण सख्या 3153 दिनांक 16.03.2021 को दर्ज व मंजुर हुआ है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.01.2021 को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा दिनांक 10.04.2026 को निरस्त किया जा चुका है। वादी न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2021 की पालना में स्वीकृत नामान्तरण स0 3153 दिनांक 16.03.2021 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाना चाहता है अप्रार्थीगण स0 1 ता 7 द्वारा भी प्रार्थी के प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सहमति पेश की जा चुकी है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत किसी को कोई ऐतराज नही है। अत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के आधार पर स्वीकार योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के नामान्तरण स0 3153 दिनांक 16.03.2021 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में बहाल की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार नोहर को पालना हेतु प्रेषित की जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/06/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

Rahul

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

.2